न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 08.03.2025

राजस्व वाद संख्या : 104 / 2024
निर्णय दिनांक : 08.03.2025
सीसीएमएस संख्या– 2024 / 210 दायर दिनांक – 26.09.2024

खींवाराम पुत्र गिधाराम जाति जाट निवारी करबा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
..............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–
1. श्री गोवर्धन लाल एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 666 / 132 तादादी 4.9442 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669 / 136 तादादी 2.9083 हैक्टेयर व 670 / 137 तादादी 0.0252 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम खींयाराम पुत्र गिरधारीराम के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम खींवाराम पुत्र गिधाराम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम खींयाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी छापर खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम खींवाराम पुत्र गिधाराम जाति जाट है। खींयाराम व खींवाराम दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खिंयाराम पुत्र गिरधारीराम के स्थान पर खिंवाराम पुत्र गिधाराम किया जाना उचित है।

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड की फोटो प्रति, निर्वाचन विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम खिंवाराम पुत्र गिधाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 666/132 तादादी 4.9442 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669/136 तादादी 2.9083 हैक्टेयर व 670/137 तादादी 0.0252 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम खिंयाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी छापर के स्थान पर खिंवाराम पुत्र गिधाराम जाति जाट निवासी छापर खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यु अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इबादाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

आज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 08.03.2025

खींवाराम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 104 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री गोवर्धन लाल एड. मिनजानिब मुद्दई मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रुप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि दावगत भूमि खेत खसरा संख्या 666 / 132 तादादी 4.9442 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669 / 136 तादादी 2.9083 हैक्टेयर व 670 / 137 तादादी 0.0252 हैक्टेयर वाके रोही करबा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम खिंयाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी छापर के स्थान पर खिंवाराम पुत्र गिधाराम जाति जाट निवासी छापर खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज ....मुबलिग .... बावत .... फीसदी खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 08 **माह** 03. 2025

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये